न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) फलोदी

बइजलास–श्रीमती पुष्पाकंवर सिसोदिया (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं. 420/2019

वादी	बनाम	प्रतिवादी
पाबूसिंह पुत्र गजेसिंह जाति–राजपूत निवासी–रामदेवनगर (पड़ियाल) तहसील–फलोदी		तहसीलदार फलोदी जिला–जोधपुर

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं दुरूस्ती अभिलेख अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित :–
1. श्री रेंवतसिंह पातावत अधिवक्ता वास्ते वादी
2. श्री पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक 28-08-2019

वादी के वाद का सारांश इस प्रकार है कि वादी एवं उसके सहहिस्सेदारान की सहहिस्सेदारी की काश्त भूमि खसरा सं. 74 रकबा 148 बीघा 18 बिस्वा व खसरा सं. 76 रकबा 16 बिस्वा कुल रकबा 149 बीघा 14 बिस्वा किस्म बी–4 ग्राम बालासर पटवार क्षेत्र मोटाई तहसील फलोदी में स्थित है, वादी एवं उसके सहहिस्सेदार मूल राजस्व ग्राम पड़ियाल नवसृजित राजस्व ग्राम रामदेवनगर के स्थाई निवासी है वादी के पिता गजेसिंह के देहान्त पर ग्राम पड़ियाल स्थित काश्त भूमि में वादी का वास्तविक नाम पाबूसिंह विरासत नामान्तरकरण में दर्ज होकर अभिलेख में दर्ज हो गया जो आज तक राजस्व गांव पड़ियाल नवसृजित राजस्व गांव रामदेवनगर, बीरमनगर में पाबूसिंह पुत्र गजेसिंह दर्ज अभिलेख चला आ रहा है, परन्तु ग्राम बालासर स्थित वादग्रस्त भूमि का विरासत नामान्तरकरण करवाने हेतु तत्कालीन पटवारी हल्का मोटाई को वादी और उसके भाईयों के नाम लिखकर विरासत नामान्तरकरण खोलने हेतु दिया, परन्तु पटवारी हल्का से दिये गये नामों का पन्ना खो जाने से तत्कालीन पटवारी मोटाई ने वादग्रस्त भूमि का विरासत नामान्तरकरण में वादी का नाम आसपास के लोगों को पूछकर लिखकर वादी का नाम पाबूसिंह के स्थान पर उगमसिंह गलत अंकित कर दिया वादी वादग्रस्त भूमि के विरासत नामान्तरकरण सं. 32 को गलत होने से निरस्त करवाने और वादग्रस्त भूमि में अपना नाम दुरूस्त करवाकर सहहिस्सेदार काश्तकार काबिज होने की घोषणा करवाने का हकदार है जिसका यह वाद वादी पेश है, वादी के मूल गांव पड़ियाल (नवसृजित राजस्व ग्राम रामदेवनगर व बीरमनगर) में पीढ़ियों से स्थित भूमि में वादी का वास्तविक नाम पाबूसिंह विरासत नामान्तरकरण के जरिये अभिलेख में आज तक चला आ रहा है और वादी के आधार कार्ड, परिचय पत्र, भामाशाह कार्ड, परिवार

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रैक) फलोदी

Scanned by CamScanner

राशन कार्ड, बैंक खाता इत्यादि सभी दस्तावेजात में पाबूसिंह पुत्र गजेसिंह (गजसिंह) सही दर्ज है। वादी का नाम वादग्रस्त भूमि में गलत उगमसिंह चला आने से वादग्रस्त भूमि पर वादी कृषि साख पत्र बनाने और भूमि को सुधार करने हेतु बैंक से ऋण इत्यादि लेने में निरन्तर परेशानी आ रही है वादी वादग्रस्त भूमि का अभिलेख दुरूस्त करवाकर अपना नाम उगमसिंह के स्थान पर पाबूसिंह अंकित करवाने का हकदार है, वादी ने पटवारी हल्का एवं तहसीलदार फलोदी से कई बार प्रार्थना पत्र पेश कर वादग्रस्त भूमि में अपना नाम उगमसिंह के स्थान पर पाबूसिंह सही नाम दर्ज करवाने के लिए प्रार्थना की, परन्तु उसके नाम दुरूस्ती की कोई कार्यवाही नहीं की गई, वादी ने दिनांक 1–2–2019 को भी तहसीलदार फलोदी से वादग्रस्त भूमि में उगमसिंह नाम को हटाकर उसके स्थान पर पाबूसिंह नाम की दुरूस्ती करवाने का निवेदन किया, परन्तु तहसीलदार फलोदी ने सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने का कहा जिस पर वादी का यह वाद दुरूस्ती अभिलेख के लिए पेश है, अन्त में निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि खेत खसरा सं. 74 रकबा 148 बीघा 18 बिस्वा व खसरा सं. 76 रकबा 16 बिस्वा किस्म बी–4 ग्राम बालासर के विरासत नामान्तरकरण सं. 32 में वादी का गलत नाम उगमसिंह की गलत प्रविष्टि होने से विरासत नामान्तरकरण सं. 32 को निरस्त करवाया जाकर अभिलेख दुरूस्ती करवाई जाकर वादी का नाम उगमसिंह के स्थान पर पाबूसिंह पुत्र गजेसिंह करवाई जावे और वादी को उसके भाई गिरधारीसिंह, प्रतापसिंह, भींवसिंह के साथ 1/4 हिस्सा का सहहिस्सेदार काश्तकार काबिज होना घोषित करवाया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया प्रतिवादी की ओर से पैरोकार सरकार ने जवाबदावा पेश कर निवेदन किया कि वाद में गुणावगुण पर निर्णय फरमावें।

अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई जिन्होनें वाद पत्र के तथ्यों को अपनी बहस में दोहराते बताया कि वादग्रस्त भूमि में वादी के पिता के विरासत नामान्तरकरण में वादी का नाम पाबूसिंह के स्थान पर आसपास के लोगों से पूछकर तत्कालीन पटवारी हल्का मोटाई ने उगमसिंह गलत अंकित कर दिया उक्त नामान्तरकरण सं. 32 गलत स्वीकृत किया गया वादी का वास्तविक नाम पाबूसिंह है सारे दस्तावेज पाबूसिंह के नाम से बने हुए है अन्य गांव रामदेवनगर, बीरमनगर की भूमियों में भी नाम पाबूसिंह दर्ज है वादी का वाद दस्तावेजों और अभिवचनों से साबित है इसलिए डिक्री फरमावें।

बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम पड़ियाल के विरासत नामान्तरकरण सं. 32 के अवलोकन से खातेदार गजेसिंह के फौत

सहायक कलक्टर ... (फास्ट ट्रेक) फलोदी

Scanned by CamScanner

होने पर उनके जायन्दा लड़कों गिरधारीसिंह, प्रतापसिंह, भींवसिंह, उगमसिंह के नाम से उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत होना पाया गया वादग्रस्त भूमि की प्रमाणित जमाबंदियां खसरा नं. 74 रकबा 148 बीघा 18 बिस्वा व खसरा नं. 76 रकबा 16 बिस्वा भूमि में वादी का नाम उगमसिंह दर्ज है वादी के आधार कार्ड, राशन कार्ड की प्रतियां, सरपंच ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र एवं ग्राम बीरमनगर स्थित खसरा नं. 8/2 ग्राम रामदेवनगर स्थित खसरा नं. 259/3 खसरा नं. 575/3 खसरा नं. 579/5 खसरा नं. 582/2 की प्रमाणित जमाबंदियां भी पत्रावली पर उपलब्ध है जिसके अवलोकन से वादी का नाम पाबूसिंह होना साबित है। वादी का वाद उक्त दस्तावेजों और वादी के वाद अभिवचनों से साबित है एवं डिक्री योग्य पाया जाता है।

आदेश

वाद वादी डिक्री किया जाता है ग्राम बालासर स्थित खसरा नं. 74 रकबा 148 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नं 76 रकबा 16 बीघा भूमि में वादी के गलत नाम उगमसिंह की प्रविष्टि को दुरूस्त कर वादी का सही नाम पाबूसिंह पुत्र गजे सिंह घोषित किया जाता है और वादी को उसके भाई गिरधारीसिंह, प्रतापसिंह, भींवसिंह के साथ 1/4 हिस्सा का उक्त वादग्रस्त भूमि का सहहिस्सेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तहसीलदार फलोदी तदनुसार निर्णय का राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे डिक्री पर्चा मुर्तिब हो पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 28-08-2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)
फलोदी

Scanned by CamScanner